BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 मार्च, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. मदना पुत्र गोपाल अहेरिया निवासी रुस्तमगढ़ी थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर व 2. नत्थू पुत्र भजना अहेरिया निवासी छोरऊ थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष- 1992 में संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व आतंक उत्पन्न कर धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 23.04.1992 को थाना छतारी पर मुअसं-60/1992 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.12.1992 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.03.2025 को न्यायाधीश श्री चन्द्र विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. मदना व 2. नत्थू को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।